



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062023-246773
CG-DL-E-23062023-246773

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367]
No. 367]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2023/आषाढ़ 2, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2023/ASHADHA 2, 1945

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2023

सा.का.नि. 456(अ).—केंद्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ज) और (थ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6 में, -

(क) उपनियम (1) में, -

(i) खंड (क) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के मामले में, ऐसे उत्पाद के पैकेज में यथास्थिति विनिर्माता या पैककर्ता या आयातक, का नाम पैकेज पर घोषित किया जाएगा, और ऐसी घोषणा उपभोक्ताओं को पते और अन्य संबंधित जानकारी के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए भी सूचित करेगी, यदि ऐसी जानकारी क्यूआर कोड के माध्यम से घोषित की जाती है और पैकेज पर ही घोषित नहीं की जाती है;"

(ii) खंड (ख) में , परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के मामले में, ऐसे उत्पाद के पैकेज में उपभोक्ताओं को वस्तु के सामान्य या जेनेरिक नाम के लिए तथा जहां ऐसे पैकेज में एक से अधिक उत्पाद हैं, तो प्रत्येक उत्पाद के नाम और संख्या के लिए या प्रत्येक उत्पाद की मात्रा के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए सूचित करेगा, यदि ऐसी जानकारी क्यूआर कोड के माध्यम से घोषित की जाती है और पैकेज पर ही घोषित नहीं की जाती है";

(iii) खंड (च) में , परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के मामले में, ऐसे उत्पाद का पैकेज, जहां ऐसी जानकारी क्यूआर कोड के माध्यम से घोषित की जाती है और पैकेज पर ही घोषित नहीं की जाती है, उपभोक्ताओं को वस्तु के आकार और बीमा के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए सूचित करेगा " ;

(ख) उप नियम (2) में , परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु एक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के मामले में, ऐसे उत्पाद का पैकेज पैकेज पर ही दूरभाष नंबर और ई-मेल पता घोषित करेगा, और ऐसी घोषणा उपभोक्ताओं को अन्य संबंधित जानकारी के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए भी सूचित करेगी यदि ऐसी जानकारी क्यूआर कोड के माध्यम से घोषित की जाती है और पैकेज पर ही घोषित नहीं की जाती है।"

[फा. सं. आई-12/21/2020-डब्ल्यू एंड एम]

निधि खरे, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 202(अ) तारीख 7 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यां सा.का.नि. 412(अ), तारीख 5 जून 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2023

G.S.R. 456(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clauses (j) and (q) of sub-section (2), of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, namely:-

1. (1) These rules may be called the Legal Metrology (Packaged Commodities) (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, in rule 6,-

(a) in sub-rule (1),-

(i) in clause (a), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that in the case of an electronic product, the package of such product shall declare the name of the manufacturer or packer or importer, as the case may be, on the package itself, and such declaration shall also inform the consumers to scan the QR code for the address and other related information, if such information is declared through the QR Code and not declared on the package itself;”

(ii) in clause (b), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that in the case of an electronic product, the package of such product shall inform the consumers to scan the QR code for the common or generic name of the commodity and where such package contains more than one product, then for the name and number or quantity of each product, if such information is declared through the QR Code and not declared on the package itself;”

(iii) in clause (f), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that in the case of an electronic product, the package of such product shall inform the consumers to scan the QR code for the size and dimension of the commodity if such information is declared through the QR Code and not declared on the package itself”;

(b) in sub-rule (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that in the case of an electronic product, the package of such product shall declare the telephone number and e-mail address on the package itself, and such declaration shall also inform the consumers to scan the QR code for other related information if such information is declared through the QR Code and not declared on the package itself.”.

[F. No. I-12/21/2020-W&M]

NIDHI KHARE, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. number 202 (E), dated the 7th March, 2011 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 412 (E), dated the 5th June, 2023.